



Neutral Citation No. - 2026:AHC:114554

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध ज़मानत आवेदन संख्या - 16816/2026

किशनपाल

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : निखिल सक्सेना, राजीव उपाध्याय

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. आवेदक के अधिवक्ता श्री राजीव उपाध्याय और राज्य की ओर से ए.जी.ए.-1 श्री विजय कुमार की दलीलें सुनी गईं।
2. यह ज़मानत आवेदन मुकदमा अपराध सं. 67/2025, बी.एन.एस. की धारा 85, 80(2), 115(2), 352 और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत थाना जहानगंज, ज़िला फर्रुखाबाद में विचारण के लंबित रहने दौरान आवेदक को ज़मानत पर रिहा करने के लिए दायर की गई है।
3. आवेदक के अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक मृतका का पति है, लेकिन झूठे आरोपों के आधार पर उसे इस मामले में आरोपी बनाया गया है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



4. उनका यह भी कहना है कि शादी के बाद मृतका को गाँव में रहना था, लेकिन वह शहर में रहना चाहती थी। इसी वजह से पति-पत्नी के बीच झगड़ा हुआ और बाद में उसने फाँसी लगाकर आत्महत्या कर ली।
5. उनका यह भी कहना है कि मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी पता चलता है कि मौत फाँसी लगाने से हुई है, इसलिए प्रथम दृष्टया यह आत्महत्या का मामला लगता है।
6. उनका यह भी कहना है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह इस मामले में 26.05.2025 से, यानी लगभग एक साल से जेल में है।
7. इसके विपरीत, अपर शासकीय अधिवक्ता (ए.जी.ए.) ने जमानत की आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि आवेदक मृतका का पति है और उसकी पत्नी की मौत शादी के डेढ़ साल के भीतर उसके ससुराल में असामान्य परिस्थितियों में हुई थी। साथ ही, बुलेट मोटरसाइकिल की माँग के लिए प्रताड़ित करने का आरोप भी है।
8. विद्वान ए.जी.ए. ने आगे कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि महिला की मौत फाँसी लगाने से हुई थी, लेकिन गले पर निशान के अलावा उसे दो जगह चोट और खरोंचें भी आई थीं। इसलिए, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि मौत से पहले उसके साथ क्रूरता की गई थी। विद्वान ए.जी.ए. ने आगे कहा कि अगर यह आत्महत्या का मामला भी है, तो भी असामान्य मौत होने के कारण यह नहीं कहा जा सकता कि आवेदक ने अपनी पत्नी की दहेज के कारण मौत का कारण नहीं बना।
9. विद्वान ए.जी.ए. ने आगे कहा कि आवेदक ने हलफनामे के पैराग्राफ-7 में अपनी पत्नी की असामान्य मौत के बारे में बताने की कोशिश की है, लेकिन पहली नज़र में उसका बयान सामान्य और अस्पष्ट लगता है। ऐसे बयान के आधार पर अभियोजन पक्ष के पूरे मामले को गलत नहीं माना जा सकता।
10. उन्होंने आगे तर्क दिया कि इस मामले में आवेदक 26.05.2025 से जेल में है, लेकिन वह मृतका का पति है और उस पर दहेज के कारण मौत का आरोप है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



11. विद्वान ए.जी.ए. ने आगे कहा कि इसलिए, धारा 118 बी.एस.ए. के प्रावधानों को देखते हुए आवेदक को जमानत पर रिहा नहीं किया जाना चाहिए।

12. मैंने दोनों पक्षों के अधिवक्तागण को सुना है और मामले के अभिलेख का अवलोकन किया है।

13. आवेदक मृतका का पति है और उसकी पत्नी की मौत शादी के डेढ़ साल के भीतर उसके ससुराल में असामान्य परिस्थितियों में हुई थी। उस पर बुलेट मोटरसाइकिल की मांग के लिए प्रताड़ित करने का आरोप भी है।

14. इसके अलावा, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि गले पर निशान के अलावा मृतका को दो जगह चोट और एक खरोंच भी आई थी। इस तथ्य को देखते हुए, विद्वान ए.जी.ए. का यह तर्क कि मौत से पहले उसके साथ क्रूरता की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, इसे पूरी तरह से नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।

15. इसके अलावा, हालांकि डॉक्टर के अनुसार मृतका की मौत फांसी लगाने से हुई थी, लेकिन इस न्यायालय की राय में, अगर यह आत्महत्या का मामला भी है, तो भी असामान्य मौत होने के कारण इस पर दहेज के कारण मौत के प्रावधान लागू होते हैं। अपनी पत्नी की असामान्य मौत के बारे में बताना मृतका के पति का कर्तव्य था। 16. इसके अलावा, आवेदक ने हलफनामे के पैराग्राफ-7 में अपनी पत्नी की असामान्य मौत के बारे में यह कहते हुए सफाई देने की कोशिश की कि मृतक गाँव के इलाके में नहीं रहना चाहती थी और इसलिए उसने आत्महत्या कर ली, लेकिन उसका यह बयान अस्पष्ट और सामान्य प्रकृति का लगता है। मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, प्रथम दृष्टया आवेदक के खिलाफ दहेज के कारण मौत का अपराध बनता है।

17. इसके अलावा, हालांकि आवेदक लगभग एक साल से जेल में है, लेकिन वह मृतक का पति है और उस पर बी.एन.एस. की धारा 80(2) यानी दहेज के कारण मौत का मुकदमा चल रहा है, जिसमें कम से कम सात साल की सज़ा का प्रावधान है जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



सकता है। इसलिए, इस अदालत की राय में, केवल इस आधार पर आवेदक को ज़मानत पर रिहा करना उचित नहीं है।

18. इसलिए, ऊपर चर्चा किए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, मेरी राय में, आवेदक ज़मानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है।

19. तदनुसार, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह ज़मानत आवेदन खारिज की जाती है।

20. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहाँ की गई टिप्पणियाँ केवल ज़मानत आवेदन के निपटारे के लिए पक्षों द्वारा लाए गए तथ्यों तक ही सीमित हैं और इन टिप्पणियों का विचारण के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

(समीर जैन, न्यायमूर्ति)

18 मई, 2026

एके पांडे

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”